

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/15/37.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कांकर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/ 15/16 दिनांक 30-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला कांकर में विद्यमान 35 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 35 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कांकर के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/ 2019/15/17 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला कांकर की समितियों के पुनर्गठन हेतु 19 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 29-09-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकर को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकर के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 द्वारा 13 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 06 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/ 2019/15/16 दिनांक 30-07-2019 की कड़िका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकर के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला कांकर में विद्यमान 35 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 35 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला कांकर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला कांकर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला कांकर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कांकर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला कांकर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्र०	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. अमोड़ा	सोनपुर, कन्हनपुरी	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बुदेली

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. दुधावा	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. घोटियावाही	घोटियावाही, गहरीनबांधा, महेशपुर, मांडरादरहा, डबरीपानी, डेकलावन, खजरावन, शामतरा, देवडोंगर
2	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. दबेंना	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बादल	बादल, धवराभाटा, उरैया, बरेठीनबाहरा, भंसुली,
3	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. गोंडाहूर	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.पी. व्ही.16	कल्याणपुर पी.व्ही. 16, ब्रम्हपुर पी.व्ही.113, मुरझर, रवीनद्रनगर पी.व्ही.17, नवानेरीकी, हांकर, हृदयपुर पी.व्ही.27
4	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बांदे	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कोरेनार	कोरेनार, पिंडकसा, आशुतोषनगर, कृषकनगर, दिपनगर, इरपानार, ओरछा, शक्तिनगर, शंकरनगर, गोपालपुर, विकासपल्ली, तरुथनगर, कन्हारगांव, तोकाजवेली, मणिपुर, पानावार, मौसमटोला, जयराम नगर, उलिया, माड़पखांजूर, पुसगट्टा, दुर्गापुर, हवलबरस
		आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. छोटेबेठिया	मांझीकुटनी, कलारकुटनी, धरमपुर, खंडी, अचिनपुर, बड़ेबेठिया, छोटेबेठिया, मेहड़ा, आकमेटा, बेचाघाट, मरबेड़ा, घोड़ाघाट, सिलपुर, पाकुरकाल, बेलोड़ा, बेनुर, रेंगावाही, जुनावार, गुरगी, अशोकनगर, ताड़बायली, सावनपुर, मोरखंडी, कोडहूर, कोंपिगगुड़ा, मसफरसी, कंचनमुड़ा, कंदाड़ी, ब्रेहबेड़ा, बंगोघोड़िया, खैरीपदर, छिंदपदर, आलदंड, हिदुर, हिलोर, आमाटोला, सितरम, परलकोट, राजामुंडा, जबेली, भुरमुस्सी, बढीलगाढ़, टेकामेटा, ओगरा, पुसकट्टा, शाहडोंगरी
5	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बारदा	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.संगम	चंदनपुर, पी.व्ही.71, 72, शांतिपुर पी.व्ही. 70, कांडेकट्टा, हरिनगर पी.व्ही. 65, बारकोट, इंद्रपुरी पी.व्ही.123, श्रीपुर पी.व्ही.64 माचपल्ली, गुड़का, स्वरूपनगर पी.व्ही. 62, झुरहानमेहड़ा, परियाहूर,
6	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कोड़ेकुर्स	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. लोहत्तर	लोहत्तर, सोनादई, पिड़चोड़, मोहगांव, सिलपट,हेपुरकसा, जोड़ेकुर्स, दंडईखेड़ा, परभेली, शीतलपुर, भेलवापानी, गुमड़ी
		आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. चिखली	चिखली, हड़फड़, दोरडेकादर, पचांगी, कोसपराली, मंगहूर, खेड़ेगांव, गुरवंडी, पराली, पालवी, हामतवाही, सोनपाल, ऐनहूर, नरेटीटोला
7	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. अंतागढ़	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. पोड़गांव	मासबरस, पुनगांव, ईराबोड़ी, पराली, बरेंबेड़ा, पोड़गांव, बड़ेतोपाल, लामकन्हार, लामपुरी, देहारीतोपाल, खड़गांव,
		आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. भैसासुर	भैसासुर, सुरेवाही, घुमर, नयागावड़ेगांव, जेठेगांव,नेलसोड़, नवागढ़, अमोड़ी, उमकी, दूढापिपली, लामनगदाम, आमाकोट, मंडागांव, करेगांव, कानागांव, हल्बा सिकसोड़, टेमरुपानी, कोनेचूर, खोड़पानी,
8	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कोयलीबेड़ा	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. चारगांव	दड़वी साल्हेमाट, पुलुंज साल्हेमाट, लोहारी, नेरोंडा, कोठोडिह, कड़मे, ऐनहूर, हेतले, कतरुकुरसबोड़ी, चारगांव, बिलईकच्छार,

			आलकन्हार, नवगेल, सरगीकोट, छोटबोदेली, मन्हाकाल, मांझी कुरुसबोड़ी, मेटाबोदेली, पोरोंडी
9	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. ताड़ोकी	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या.सरंडी	कलेपरस, आमाकड़ा, मुरनार, आमागांव, सिरसंगी, चिंगनार, चिपोंडी, ऐड़ानार, बड़ेधौसा, धौसा, गुंजनार, माहुरपाट, मलमेटा, सरंडी
10	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. लखनपुरी	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. खरथा	बाबूकोहका,
11	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. चारामा	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. उंकारी	खरथा, गोलकुम्हडा, सराधूनवागांव, रतेसरा कण्डेल
12	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. पुरी	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. उंकारी	गिधाली, कुरुटोला, शाह्हेटोला, उंकारी, आंवरी, चुचरुंगपुर, डेडकोहका
13	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. उमरादाह	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. कुरना	कुरना, डेकुना, चरभठठी, श्रीगुहन, डबरीपानी, नयापारा
14	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. हल्बा	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. शाहवाडा	हटकाचारामा
15	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. हाराडुला	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. टांहाकापार	पलेवा, बाडाटोला, शाहवाडा, ढोडकावाही, मैसाकट्टा
16	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. डोकला	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. पण्डरीपानी	टांहाकापार, कुरूभाट, अरौद
17	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. आसुलखार	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. केंवटी	भिरौद
18	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. दुर्गुकोदल		पण्डरीपानी, जुनवानी, तेलगुडा, भिलाई, तांसी
19	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. संबलपुर		केंवटी, हरहरपानी, परवी, जनकपुर, खडका, भुरका, जलहूर, घोटा, भिरागांव, सोनकन्हार, बोटेचांग, तुमरीकोही, बागवाही, बिरकोदल, अलवरखूर
20	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. भानुप्रतापपुर	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. हाटकोदल	विक्रमगांज
21	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कोरर	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. भानबेड़ा	पुत्तरवाही, घोटिया
22	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. आसुलखार	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. हाटकर्का	मोहगांव
23	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कोरर	आ.जा.सेवा सह. समिति मर्या. बैजनपुरी	हाटकोदल, झिटकाटोला, कलवर,भीरावाही, बरगांव, कालागांव, तमोड़ा, हिरगे, परेकोड़ो, हिंगनझर, बयनर
			भानबेड़ा, डोंगरकट्टा, कुराल, बुदेली, मुंगवाल, तेलमा, भोडिया
			खोरा, भेजा, हफरा
			धनेली, सिलीबहार, तरान्दुल, काठोली, खसगांव
			हाटकर्का, हेटारकसा, असतरा, तुहेगहन, बनोली, बांसकुण्ड, बरबसपुर, बारवी, चारगांव, उपरतोनका, नीचेतोनका,
			बैजनपुरी, डुमरकोट, नरसिंगपुर, मैसाकन्हार, हवरकोदल, बयानार, उचपानी, जामपारा, कनेचूर

अनुसूची-तीन

क्र०	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जितकार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.ना. नवागांव	दुराखार, बागोडार, नारा, हाटकोंगेरा, गोतपुर, सिदेसर, सुभियामुड़पार	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. कांकेर	—
2	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.चारामा	चावड़ी	—	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. बागोडार
3	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कोटतरा	लिलेझर, बड़ेगौरी	—	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. लिलेझर
4	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. पुरी	बरकछार दल्लीडिही	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. चारामा	—
5	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. उमरादाह	पंडरीपानी, कुसुमपानी	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.अमोड़ा	—
6	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. नरहरपुर	बिरनपुर, करियापहार, मुरुमतारा, बागडोंगरी, देवीनवागांव, थानाबोड़ी, डुमरपानी,	—	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. बिरनपुर
7	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. दुर्गुकोंदल	बांगाचार, कवाची कटेल, संतराथी, नेवाड़खेड़ा, कोदापाखा, कोपाकटेल, चाहचार, मेड़ो, वाटीनटोला, पाउरखेड़ा, डोढ़का ऐनहूर, नेवारी, सुखई, मिच्चे सुखई सठेली	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.कोदापाखा
8	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. भानुप्रतापपुर	गोयंदा	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. दमकसा
9	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.संबलपुर	डुआ,दमकसा, आमागोहान, बरहेली, ईरागांव, कोडाखुरी, झरीपारा, कानापाल, गोकुटमुंडा, सिवनी, छिंदगांव, पेडावारी, मोखा, तराईघोटिया, नेडगांव, गुलालबोडी, कलंगपुरी, पुजारीपारा, तरहूल, भूरसातरहूल, हिलचूल, गुडफेल, झरीपारा, रसोली, नागहूर, चिहरो, आमाकडा, महेन्द्रपुर, राउरवाही, घोडाबत्तर,मुल्ला, चौगेल डांगरा	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.भानुप्रतापपुर आ.जा.सेवा सह.समिति	— —

			मर्या.दुर्गूकोंदल	
10	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. सरोना	सिंगनपुर	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.बुदेली	—
		भैसमुंडी, पेंझावन, अभनपुर, भिरौद, कापसकोटी, सिंगारवाही, गंवरसिल्ली	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. अभनपुर
11	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. पखांजूर	मरोडा, गौरीशंकर नगर, भवानी नगर, फरफुंदी	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.बांदे	—
		बैकुण्ठपुर, पी.व्ही.19, पी.व्ही. 20, पी.व्ही.125, मायापुर, पी.व्ही.26, पी.व्ही. 18, चांदीपुर, पी.व्ही. 29, पी.व्ही. 30, जुनवानी, पी.व्ही.25, अनुपपुर, पी.व्ही.127, दुर्गापुर, पी.व्ही.121	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.पी.व्ही.26
		ऐसेबेड़ा, विधानगर, मरकानार, विरान(पी.व्ही.42), श्यामनगर पी.व्ही.13, पी.व्ही. 14, सोहगांव,गोविंदपुर पी. व्ही.15, पी.व्ही.129, जयश्री नगर पी.व्ही.43, पी.व्ही. 128 वनश्री नगर पी.व्ही. 44, पी. व्ही.45, पी.व्ही.121, घोड़ागांव	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.ऐसेबेड़ा
12	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बडेकापसी	पी.व्ही. 28	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.पखांजूर	—
		नाहगिदा, नेड़गांव, जोगिन, बड़गांव, पिपली, छिंदपाल, संतटोला, मुरावंडी, घोटिया, मासुर, पित्तगुडुम, मंडागांव, साल्हेपारा, मेंझा, कुल्ली, नदीचुआ, उरपांजूर, मरकाचुआ, ताड़हूर, रामपुर, करमरका, मुदला, मुसरघाट, बीचपारा, देवीपारा, बड़ेझाड़कट्टा, छोटेझाड़कट्टा, बुधनदंड, नेटामदले, तुमरा, मदले	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.बड़गांव
13	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. कांकर	पुसवाड़ा, पुसावंड,	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. पटौद	
		मर्दापोटी, ईरादाह, आमाझोला, जिवलामारी, मर्दापी, मलांजकुंडुम, गढ़पिछवाड़ी, इच्छापुर, नवागांव-भावगीर, घोटिया, मनकेशरी	—	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. ईच्छापुर
		कलमुच्चे	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. पीढ़ापाल	—
		कोडेजुंगा, चिवरांज		
14	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. नाथियानवागांव	टेलकाबोड, गोविन्दपुर, अर्जुनी	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.मालगांव
15	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. पीढ़ापाल	खमदोडगी, कोकपुर, मालगांव, माटवाडालाल,		

		नांदनमारा,		
		पाण्डरवाही, माकडीखूना, सिंगराय माकडी	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. नाथियानवागांव	—
		मुरडोंगरी	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बारदेवरी	—
		भैराडीह, कापसी		
16	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. बारदेवरी	पोटगांव, मरकाटोला, बाबूदबेना, अण्डी, केवटीनटोला, कोकानपुर, तालाकुर्रा, सिलतरा	—	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. मरकाटोला
		मैनपुर	आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या.लखनपुरी	—